आवंटन (3)
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890500–24

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद–सोनभद्र, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, मैनपुरी, महोबा, देवरिया, फतेहपुर, कन्नौज, कासगंज, सुल्तानपुर, ललितपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बुलन्दशहर, भदौही, अलीगढ़, श्रावस्ती, फर्रूखाबाद, कौशाम्बी, हाथरस, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, फिरोजाबाद एवं सिद्धार्थनगर।

2–जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/63/2016–1/75/2016 लखनऊः **दिनांक 06 जुलाई, 2016**

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–28/2016/1732/33–3–2016–100(11)/2014 टीसी दिनांक 30 जून, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि रू0– 15000.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0–6290.00 लाख (रू0– बासठ करोड़ नब्बे लाख मात्र) में से उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित धनराशि रू0–**5759.253** लाख की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट–01) व कालम सख्या 10 में इंगित रू0–**10.747** लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट–02) इस प्रकार कुल **रू0 5770.00 लाख** की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

2–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746/दस–2016–231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा

शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या–10 में अंकित धनराशि रू0– 8.288 लाख निदेशक पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी। अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

5–उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6–उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7–आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8–सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10–आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11–जनपद स्तर पर निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02–02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

12–किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13–जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

14–धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10–03–2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–146 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

cc road 83 allotment 2016-17

संख्याः 1/शा0/63/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
4. विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद–सोनभद्र, पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, मैनपुरी, महोबा, देवरिया, फतेहपुर, कन्नौज, कासगंज, सुल्तानपुर, ललितपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बुलन्दशहर, भदौही, अलीगढ़, श्रावस्ती, फर्रूखाबाद, कौशाम्बी, हाथरस, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, फिरोजाबाद एवं सिद्धार्थनगर।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
10. उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
11. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

cc road 83 allotment 2016-17

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-06/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-63-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 005-75-2016
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17966430 17966430	17966430 17966430
2	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	23954800 23954800	23954800 23954800
3	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7984900 7984900	7984900 7984900
4	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	8983210 8983210	8983210 8983210
5	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10979240 10979240	10979240 10979240
6	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5988780 5988780	5988780 5988780
7	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5989880 5989880	5989880 5989880
8	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	22957290 22957290	22957290 22957290
9	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9981430 9981430	9981430 9981430
10	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	33936630 33936630	33936630 33936630
11	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	32938510 32938510	32938510 32938510
12	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12975760 12975760	12975760 12975760
13	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	46912490 46912490	46912490 46912490
14	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	16968310 16968310	16968310 16968310
15	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9981430 9981430	9981430 9981430
16	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21958980 21958980	21958980 21958980
17	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9981430 9981430	9981430 9981430
18	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	24953410 24953410	24953410 24953410
19	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	40923510 40923510	40923510 40923510

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
20	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10979640 10979640	10979640 10979640
21	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	15970300 15970300	15970300 15970300
22	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	30942250 30942250	30942250 30942250
23	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	24953310 24953310	24953310 24953310
24	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	14971910 14971910	14971910 14971910
25	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17966430 17966430	17966430 17966430
26	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	45914380 45914380	45914380 45914380
27	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17966430 17966430	17966430 17966430
28	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10979640 10979640	10979640 10979640
29	कासगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	18964640 18964640	18964640 18964640
	योग	वर्तमान प्रगामी	575925350 575925350	575925350 575925350

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्तावन करोड़ उनसठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचास

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तावन करोड़ उनसठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचास

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-06/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-63-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 006-75-2016
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	1074650 2696850	1074650 2696850
	योग	वर्तमान प्रगामी	1074650 2696850	1074650 2696850

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस लाख चौहत्तर हजार छ: सौ पचास
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख छियानवे हजार आठ सौ पचास

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या-2१/2016/1732/33-3-2016-100(11)/2014टीसी

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक:30 जून 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1485/2016-5/99/2016 दिनांक 23 जून 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत 2016-17 उक्त योजना के लिए प्रावधानित रू0 15000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 5770.00 (रू0 सत्तावन करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा । इतर वयय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4). उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अध्ष्ठिान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्म -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू 10.747 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के "लेखाशीर्षक 4515-

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिव विशेष घटक योजना-05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10 निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी द्वारा गुणवत्ता एवं आवंटित धन के सापेक्ष कार्यो की स्थलीय निरीक्षण/प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(13) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हे
प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (एस0सी0पी0)

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ ,जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना मे अनुदान संख्या.83 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 मे जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी[…] एवं के0सी0[…] हेतु वास्त[…] प्रस्ता[…] धनराशि […16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13 +14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सोनभद्र	14	310.000	0.000	310.000	288.688	21.313	310.000	0.577	4.330	0.289	0.289	0.289	5.196	5.774	282.91
2	पीलीभीत	2	60.000	0.000	60.000	55.875	4.125	60.000	0.112	0.838	0.056	0.056	0.056	1.006	1.118	54.75
3	गोण्डा	5	100.000	0.000	100.000	93.125	6.875	100.000	0.186	1.397	0.093	0.093	0.093	1.676	1.863	91.26
4	बहराइच	8	220.000	0.000	220.000	204.875	15.125	220.000	0.410	3.073	0.205	0.205	0.205	3.688	4.098	200.77
5	मैनपुरी	3	80.000	0.000	80.000	74.500	5.500	80.000	0.149	1.118	0.075	0.075	0.075	1.341	1.490	73.010
6	महोबा	10	250.000	0.000	250.000	232.813	17.188	250.000	0.466	3.492	0.233	0.233	0.233	4.191	4.656	228.156
7	देवरिया	6	130.000	0.000	130.000	121.063	8.938	130.000	0.242	1.816	0.121	0.121	0.121	2.179	2.421	118.641
8	फतेहपुर	9	230.000	0.000	230.000	214.188	15.813	230.000	0.428	3.213	0.214	0.214	0.214	3.855	4.284	209.904
9	कन्नौज	7	180.000	0.000	180.000	167.625	12.375	180.000	0.335	2.514	0.168	0.168	0.168	3.017	3.353	164.273
10	कासगंज	7	190.000	0.000	190.000	176.938	13.063	190.000	0.354	2.654	0.177	0.177	0.177	3.185	3.539	173.399
11	सुलतानपुर	5	100.000	0.000	100.000	93.125	6.875	100.000	0.186	1.397	0.093	0.093	0.093	1.676	1.863	91.263
12	ललितपुर	16	410.000	0.000	410.000	381.813	28.188	410.000	0.764	5.727	0.382	0.382	0.382	6.873	7.636	374.176
13	लखनऊ	17	470.000	0.000	470.000	437.688	32.313	470.000	0.875	6.565	0.438	0.438	0.438	7.878	8.754	428.934
14	फैजाबाद	7	170.000	0.000	170.000	158.313	11.688	170.000	0.317	2.375	0.158	0.158	0.158	2.850	3.166	155.146
15	बुलन्दशहर	8	180.000	0.000	180.000	167.625	12.375	180.000	0.335	2.514	0.168	0.168	0.168	3.017	3.353	164.273
16	भदोही	7	150.000	0.000	150.000	139.688	10.313	150.000	0.279	2.095	0.140	0.140	0.140	2.514	2.794	136.894
17	अलीगढ़	9	240.000	0.000	240.000	223.500	16.500	240.000	0.447	3.353	0.224	0.224	0.224	4.023	4.470	219.030
18	श्रावस्ती	5	110.000	0.000	110.000	102.438	7.563	110.000	0.205	1.537	0.102	0.102	0.102	1.844	2.049	100.389

(…निक चन्द सम्म)
अनुभाग अधिकारी
…ी राज अनुभाग-3
…देश शासन

एस0 पी0 एम0 यू0

क्र. स.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना में अनुदान संख्या-83 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 एवं के0सी0 हेतु वास्तवि प्रस्तावि धनराशि 16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13 +14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	फर्रूखाबाद	3	60.000	0.000	60.000	55.875	4.125	60.000	0.112	0.838	0.056	0.056	0.056	1.006	1.118	54.7
20	कौशाम्बी	19	460.000	0.000	460.000	428.375	31.625	460.000	0.857	6.426	0.428	0.428	0.428	7.711	8.568	419.8
21	हाथरस	7	180.000	0.000	180.000	167.625	12.375	180.000	0.335	2.514	0.168	0.168	0.168	3.017	3.353	164.2
22	शाहजहांपुर	5	110.000	0.000	110.000	102.438	7.563	110.000	0.205	1.537	0.102	0.102	0.102	1.844	2.049	100.3
23	मिर्जापुर	15	340.000	0.000	340.000	316.625	23.375	340.000	0.633	4.749	0.317	0.317	0.317	5.699	6.333	310.2
24	प्रतापगढ़	11	250.000	0.000	250.000	232.813	17.188	250.000	0.466	3.492	0.233	0.233	0.233	4.191	4.656	228.1
25	एटा	4	90.000	0.000	90.000	83.813	6.188	90.000	0.168	1.257	0.084	0.084	0.084	1.509	1.676	82.13
26	वाराणसी	5	100.000	0.000	100.000	93.125	6.875	100.000	0.186	1.397	0.093	0.093	0.093	1.676	1.863	91.26
27	जौनपुर	12	330.000	0.000	330.000	307.313	22.688	330.000	0.615	4.610	0.307	0.307	0.307	5.532	6.146	301.16
28	फिरोजाबाद	7	160.000	0.000	160.000	149.000	11.000	160.000	0.298	2.235	0.149	0.149	0.149	2.682	2.980	146.02
29	सिद्धार्थनगर	5	110.000	0.000	110.000	102.438	7.563	110.000	0.205	1.537	0.102	0.102	0.102	1.844	2.049	100.38
	कुल	238	5770.000	0.000	5770.000	5373.313	396.688	5770.000	10.747	80.600	5.373	5.373	5.373	96.720	107.466	5265.84

(रूपया सतावन करोड़ सत्तर लाख म

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वार आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(मानिक चन्द राम)
अनुभाग अधिकारी
पंचायती राज अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन